मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 15/ 07 /2021

फा0 क्र0 1-2-90/21-ब(एक) 2469/2021- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दांडिक अपील क्रमांक 5189/2020 प्रमोद यादव विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य दिनांक 22.04.2021 में पारित आदेश के अनुसरण में, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से तथा अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियत, 2012 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अधीन मध्यप्रदेश राजय में गठित समस्त विशेष न्यायालयों को, अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) के अधीन पंजीबद्ध अपराधों का भी विचारण करने के लिए अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) के अधीन विशेष न्यायाधीश के रूप में विनिर्दिष्ट करता है।

NOTIFICATION

F.N0.1-2-90-XXI-B(1)2469 /2021- Pursuant to the order passed by the hon'ble High Court of Madhya Pradesh in Criminal Appeal No. 5189/2020 Pramod Yadav Vs. State of M.P. & ors. Dated 22.04.2021, State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh and in exercise of the powers conferred under section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989) also specifies all special courts in the State of Madhya Pradesh, constituted under sub-section (1) of section 28 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 as special courts under Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989) to also try offences registered under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989) (No.33 of 1989).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(गोपाल श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ0 क्र0 1-2-90/21-ब(एक) 2469/2021, भोपाल,दिनांक 15 / 07 /2021

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्रमांक D/1866,/III-6-5/10/III-6-6/84 दिनांक 18.06.2021 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, म0 प्र0 शासन, गृह (पुलिस) विभाग, भोपाल,
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोक नगर,बालाघाट, जबलपुर, पन्ना, शिवपुरी, भोपाल, कटनी, राजगढ़, सीधी, छतरपुर, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम, सिंगरौली, दमोह, मंडला, रीवा, टीकमगढ़, मंडलेश्वर, सागर, उज्जैन, ग्वालियर, मंदसौर, सतना, विदिशा, हरदा, इंदौर, मुरैना, सिवनी, अनूपपूर, अशोकनगर, डिण्डोरी, बढ़वानी, भिंड, धार, झाबुआ, नीमच, शाजापुर, रायसेन, देवास, होशंगाबाद, नरसिंहपुर सीहोर, शहडोल, एवं उमरिया (म0प्र0)
5. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (म0 प्र0 राजपत्र के भाग-1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ) प्रेषित।
6. शाखा प्रभारी, आय0 टी0 शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड़ करने बाबत प्रेषित।

(डॉ. वैभव विकास शर्मा)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग